RJPP, Vol. XXI, No.II, Apr.23-Sep.23, ISSN (P) : 0976-3635, (e) :2454-3411, Impact Factor 8.858

दलित महिलाओं की पंचायती राज मे भूमिकाः जनपद मुजफ्फरनगर के संदर्भ में

डॉ० गुलाब सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष,

समाजशास्त्र विभाग

चन्द्र शेखर आजाद पी०जी० कॉलेज, चरथावल, मुजफ्फर नगर

ईमेलः singhgulab1702@gmail.com

सारांश

राजनीतिक क्षेत्र में पंचायतीराज स्तर पर महिलाओं की सक्रिय भूमिका सभी तीनों स्तर पर देखने को मिलती है। राजनीतिक क्षेत्र में पंचायतीराज स्तर पर महिलाओं की राजनीति में सक्रिय भूमिका में बाधक के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। आज भी पंचायती राज स्तर पर महिलाओं को चुनाव के समय अधिक सक्रिय होने के लिये प्रेरित किया जाता है तथा वह एक टूल के तरीके से इस्तेमाल की जाती हैं। चुनाव सम्पन्न होने के बाद महिलाओं को फिर से पहले वाली स्थिति में लौटना पड़ता है। कुछ महिलाऐं जो शिक्षित हैं तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं वह अपनी राजनीतिक शक्ति का वास्तविक तौर पर उपयोग कर पाती हैं। 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज अधिनियम–1992 जिसके तहत महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रखा गया है तथा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है कि स्थानीय स्तर पर महिलाओं को कम जानकारी है। कुछ महिलाऐं जो जानकारी रखती हैं उनकी शिक्षा का स्तर काफी अच्छा देखने को मिलता है तथा कहीं न कहीं पारिवारिक पृष्टभूमि भी राजनीतिक जागरूक पायी गयी है। पंचायत के कार्यों के विषय के बारे में महिलाओं की जानकारी का स्तर बहुत अच्छा नहीं है। पंचायतों के अधीन कितने विषय आते हैं तथा किन परिस्थितियों में पंचायत उन पर अपना अधिपत्य, उनके उपयोग और उनके मालिकाना हक से सम्बन्धित गतिविधियों को जारी करती है। यह जानकारी बहुत कम महिलाओं में देखने को मिलती है। इन विषय से सम्बन्धित जानकारी का स्तर उन महिलाओं को अच्छे तरीके से पता है जो राजनीतिक विज्ञान की सामान्य जानकारी रखती हैं या विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेती रहती हैं। महिला उत्तरदाताओं का सक्रिय रूप से भाग लेना उनके पारिवारिक अन्य सदस्यों की प्रेरणा का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है।

मुख्य बिन्दु

विकेन्द्रीकरण दलित महिलाओं, पंचायती राज राजनीतिक क्षेत्र इत्यादि।

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 30.08.2023
Approved: 26.09.2023

डॉ० गुलाब सिंह

दलित महिलाओं की पंचायती राज मे भूमिकाः जनपद मुजफ्फरनगर के संदर्भ में

RJPP Apr.23-Sep.23, Vol. XXI, No. II,

PP. 233-240
Article No. 32

Online available at:
https://anubooks.com/journal/rjpp

परिचय

भारत गाँवों का देश है। गाँवों में सत्ता के विकेन्द्रीकरण का व्यावहारिक चित्र ग्राम पंचायतों के द्वारा प्राप्त होता है। भारत में पंचायतों का इतिहास अत्यन्त ही प्राचीन है। भारत में वैदिक काल से लेकर वर्तमान तक पंचायतों का अस्तित्व किसी न किसी रुप में सदैव रहा है। वैदिक युग में भी हमें पंचायतों का उल्लेख मिलता है। भारत में प्राचीन काल से ही यह मान्यता रही है कि पंच–परमेश्वर द्वारा दिया गया न्याय ही श्रेष्ठ एवं सर्वोपरि होता है। पंचों की वाणी में ईश्वर की वाणी होती है। प्राचीन काल से ही ग्रामीण विवादों को निपटाने के लिए जनता अपने में से जिन पांच समझदार अनुभवी व योग्य व्यक्तियों को चुन लेती थी, उन्हे पंच कहा जाता था, और उनके द्वारा लिए गये निर्णय को ही दैवीय निर्णय माना जाता था। न्याय के अलावा ग्राम पंचायतें प्रशासन के सभी कार्य करती थी।[1] प्राचीन काल से ही भारतीय ग्रामीण समुदाय की सामाजिक संरचना के तीन महत्वपूर्ण आधार जाति प्रथा, संयुक्त परिवार एवं ग्रामीण पंचायत रहे हैं। स्वशासन की इकाई के रुप में पंचायतों का विशेष महत्व सदैव रहा है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु ने पंचायती राज को भारत में सबसे बड़ी क्रान्ति की संज्ञा दी तथा इसे जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का एक क्रान्तिकारी परिर्वतन का प्रयोग निरुपित किया था, जिसके द्वारा भारतीय लोगों की विचारधारा, कार्य और समाज की बनावट बदली है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी भारतीयों के लिए कानूनी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचार रखने की स्वतंत्रता, विश्वास और पूजा–पाठ, समान अधिकार और अवसर आपको आपसी भाई–चारे से आगे बढ़ाना, सभी की प्रतिश्ठा को ध्यान में रखकर देश की एकता बनाये रखने जैसे सुझाव पारित हुए।

भारतीय महिलाओं को भी पुरुषों की तरह सभी अधिकार प्राप्त थे। भारतीय संविधान के अनेक अनुच्छेदों में महिलाओं को अधिकार दिये गये। विभिन्न अनुच्छेद में महिलाओं को कानून की नजरों में सब समान है तथा भेदभाव को निषेध माना गया है। राज्य के कार्यालयो में सशक्तिकरण अथवा नियुक्ति संबंधी मामले में सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध है।

पंचायतें स्थानीय आधार पर नियम बनाने, गाँव की व्यवस्था चलाने, विवादों को निपटाने तथा राजा की आज्ञा को स्थानीय स्तर पर व्यवहारिक रूप में लागू करने, कर इकट्ठा करने एवं राजकोश में गाँवों का अंशदान भिजवाने आदि का कार्य करती थी तथा गाँवों के विषय में कोई भी निर्णय लेने से पूर्व राजा पंचायतों की राय को ध्यान में रखता था। 'पंचायत शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के 'पंचायत शब्द से हुई है। जिसका अर्थ पांच व्यक्तियों का समूह था। गाँधीजी ने भी पंचायत का शाब्दिक अर्थ गाँव के लोगों द्वारा चुने हुए पाँच व्यक्तियों की सभा से लिया है। आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में पंचों को चुना जाता है जो कि गाँव में छोटे–मोटे झगड़ों और तनावों को सुलझाते हैं, इसीलिए उन्हें पंच परमेश्वर भी कहा गया है। आज भी अधिकांश गाँवों में वार्ड सदस्य को आम बोलचाल की भाषा में पंच ही कहा जाता है। वैदिक काल में भी इस प्रकार की सभा व समितियों का वर्णन मिलता है, जो कि लोगों की भलाई का कार्य करती थी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एवं स्थानीय स्वशासन की दिशा में एक नई पहल प्रारम्भ हुई। 26 जनवरी, 1950 को स्वतंत्र भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान में

पंचायती राज को नीति निर्देशक तत्वों में स्थान दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 40 में प्राविधान किया गया कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन इस प्रकार करने के लिए बाध्य होगा जिससे स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य कर सकें। इसके पश्चात् लगभग प्रत्येक राज्य ने इसी नीति निर्देशक तत्व के आधार पर पंचायतों के पुनर्गठन के लिए प्रयास किए जाने लगे। भारत में 1947 में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश राज्य में ग्राम पंचायतों के विकास हेतु एक अधिनियम पारित किया गया, और इस अधिनियम के अंतर्गत सन् 1948 में ग्राम पंचायतों का पहला निर्वाचन सम्पन्न हुआ।

साहित्य का अवलोकन

अनुसंधान के क्षेत्र में सम्बन्धित साहित्य का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि उससे सम्बन्धित ज्ञान का गहन अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाये, ताकि महत्वपूर्ण तथ्य एवं निष्कर्ष सरलता से प्राप्त हो सकें। शोध का अर्थ सत्य की खोज तथा उन प्रश्नों के उत्तर खोजना है जो कि ज्ञात नहीं है।

उमर फारूकी (2010) ने अपने शोध में पाया कि पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण के बाद महिलाओं के सशक्तिकरण में तेजी से वृद्धि हुई है। आरक्षण मिलने के बाद सभी जाति एवं वर्ग की महिलाओं की पंचायती राज में हिस्सेदारी बढ़ी है। अब महिलाएँ स्वयं विकास की योजना तैयार करने में निर्णय लेती है और इन योजनाओं को लागू करती है।

प्रदीप कुमार सिंह (2010) ने अपने अध्ययन में पाया कि पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दिये जाने के बाद इन महिलाओं में विशेषकर दलित महिलाओं में जागरूकता बढ़ी है। अध्ययन में पाया गया कि अब महिलाएँ सामुदायिक कार्यों में भाग लेती है। महिलाएँ अब अपने घरों और आस–पास के स्थानों की सफाई पर अधिक ध्यान– देती है तथा समुदाय के विकास कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है।

आनन्द सिंह (2010) ने राजस्थान के कई ग्राम पंचायतों के अध्ययन में पाया कि महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण दिये जाने के बाद महिलाओं में नेतृत्व क्षमता बढ़ी है साथ ही महिलाओं में राजनैतिक चेतना में वृद्धि आई है। अब पंचायतों के माध्यम से महिलाएँ नए उत्साह और स्फूर्ति के साथ विकास में योगदान दे रही है।

दिशा चतुर्वेदी (2011) ''पंचायती राजव्यवस्था एवं महिला राजनीतिक भागीदारी'' पुस्तक में वर्णित किया है कि वर्तमान समय में पंचायतीराज व्यवस्था स्थानीय प्रशासन का अभिन्न अंग बन चुकी है। 73वां संविधान अधिनियम सहभागी लोकतत्र की दिशा में एक अच्छा प्रयास है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में महिलाओं भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्रांतिकारी कदम है।

अखिलेश चन्द्र (2011) ने अपने अध्ययन में पाया कि ग्राम पंचायतों में –प्रशासन की सुविधा प्रदान करने के बाद ग्राम पंचायतों में विकास की दर में तेजी से वषद्धि हुई है। अब ग्राम पंचायत के लोगों को केन्द्र से लेकर राज्य सरकार तक की योजनाओं के बारे में आसानी से जानकारी मिल रही है। ई–शासन व्यवस्था होने से ग्राम पंचायत पर चौपाल आयोजित करना काफी आसान हो गया है।

उमेश प्रताप सिंह एवं राजेश कुमार (2012) ने ''महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयाम' में महिला सशक्तिकरण के ऊपर प्रकाश डाला है। महिला सशक्तिकरण की वर्तमान में प्रासंगिकता

बताते हुए विवेचन किया है कि महिला किस प्रकार सशक्त हो रही है तथा किस प्रकार महिला अपने अस्तित्व की पहचान कर रही है।

गोपी रमण प्रसाद सिंह (2013) ने अपनी पुस्तक ''भारतीय सामाजिक व्यवस्था एवं संस्थाएँ'' में कहा है कि राजनीतिक एवं धार्मिक समस्याओं को दूर करने के लिए अभिजात वर्ग को आगे लाना होगा ताकि इनसे सम्बंधित आम लोगों को संगठित किया जा सके और विकास हेतु नेतृत्व उनके बीच के लोग संभाल सकें।

अनीता मोदी (2014) ने लिखा है कि ग्रामीण विकास और महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था का प्रावधान होने से महिलाओं सशक्तिकरण के मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस आरक्षण व्यवस्था के कारण ही महिलाएं अपने घर की देहरी से बाहर कदम रखकर राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए अपनी क्षमता व कौशल का परिचय दे रही है।

हिमांशु शेखर' (2014) ''पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी'' में लिखा है कि जिन स्थानों पर महिलाएँ अशिक्षित है उन्हें प्रशिक्षण दिया'' जाना चाहिए और जो महिलाएँ जनप्रतिनिधि चुनी जाती है उन्हें किसी भी किमत पर स्टांप पैड नहीं बनना चाहिए बल्कि अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए पंचायतों से जुड़े फैसले खुल कर लेने होंगे। पुरूष वर्ग की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह अपनी मानसिकता बदले और आधी आबादी को सहयोग दें।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य मुजफ्फरनगर जिले में ''दलित महिलाओं की पंचायती राज मे भूमिकाः जनपद मुजफ्फरनगर के संदर्भ में'' का समाजशास्त्रीय अध्ययन करना है। प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित है।

- दलित महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।
- दलित महिलाओं की राजनीतिक चेतना एवं राजनीतिक अभिमुखीकरण का अध्ययन करना।
- दलित महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि

अनुसंधान कार्य में वैज्ञानिक पद्धतियों की सहायता से सामाजिक घटनाओं के बारे में यथार्थ ज्ञान संभव हो पाता है। इस हेतु अनुसंधान कार्य एक निश्चित योजना के अनुसार सर्तकता पूर्वक किया जाता है। प्रस्तुत शोध के लिए सीमित क्षेत्र का निर्धारण तथा संकलन के स्रोतों का अनुमान तथा विषय के अनुरूप शोध पद्धति का चुनाव किया गया है ताकि वैज्ञानिक निष्कर्षो की प्राप्ति हो सके। इसके अन्तर्गत निम्न बिन्दुओं को सम्मिलित किया गया हैः–

उत्तरदाताओं का चयन

तथ्य संकलन हेतु दलित महिला उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के द्वारा किया जायेगा। समस्त मुजफ्फरनगर जिलों को प्रतिनिधि के तौर पर तथा खतौली तहसील क्षेत्र को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयन कर तहसील से समान प्रतिनिधित्व रखते हुए 50 दलित महिलाओं को विभिन्न, आयु, आय, व्यवसाय एवं आर्थिक स्तर पर चयनित कर साक्षात्कार, अनुसूची के माध्यम से पंचायती राज का उनके सशक्तिकरण में योगदान का अध्ययन किया जायेगा।

अनुसंधान अभिकल्प

अनुसंधान अभिकल्प अनुसंधान कार्य प्रारम्भ से पहले से निर्मित एक ऐसी व्यवस्थित रूपरेरवा है जो कुछ विशेष उद्देश्यों के सन्दर्भ में अध्ययन के विभिन्न पक्षों को स्पष्ट करती है। अनुसंधानकर्ता अनुसंधान की प्रकृति के साथ–साथ एक निर्धारित पद्धति का उपयोग करके अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से अनुसंधान अभिकल्प की रचना की जाती है।

आंकड़ो का संकलन

ग्रामीण क्षेत्रों में अध्ययन के लिए चयनित दलित महिला उत्तरदाताओं से साक्षात्कार, अनुसूची से सम्बन्धित विषय को पूर्ण करते हुए प्रश्नों को तैयार कर विषय से सम्बन्धित आवश्यक बिन्दुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा। दलित महिला उत्तरदाता के पंचायती राज व्यवस्था में सहभागिता का स्तर, राजनीतिक सहभागिता के अवसर के द्वारा महिलाओं के वास्तविक विकास में योगदान का गहन अध्ययन किया।

आंकड़ो का विश्लेषण

अध्ययन क्षेत्र से प्राप्त आंकड़ो का विश्लेषण हेतु सांख्यकीय अभिकरण सहसम्बन्ध, प्रतिशत आदि तकनीकी का आंकड़ो के विश्लेषण में उपयोग किया जायेगा। आंकड़ो के प्रदर्शन के लिए ग्राफ, डाईग्राम, आदि का भी प्रयोग किया जायेगा। किसी भी शोध कार्य द्वारा प्राप्त परिणामों के लिये यह पूर्णतः विश्वसनीयता के साथ नहीं कहा जा सकता है कि यह शोध पूर्णतः शोध क्षेत्र से सम्बन्धित सम्पूर्ण पहलुओं को पूर्ण करता है, क्योंकि प्रायः कुछ पहलू अछूते रह जाते हैं।

- शोध अध्ययन में सबसे अधिक महिला उत्तरदाता (42 प्रतिशत) 26 से 35 वर्ष आयु वर्ग से सम्बन्धित हैं।
- शोध अध्ययन में सबसे अधिक महिला उत्तरदाता (86 प्रतिशत) विवाहित हैं।
- दलित महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता उनके जनन मूलक परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि से सम्बन्धित होती है। पारिवारिक शैक्षिक पृष्ठभूमि के बढ़ने से उनकी जागरूकता का स्तर बढ़ता है तथा राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के प्रति सहयोगात्मक रवैया देखने को मिलता है।
- दलित महिलाओं की माताओं की शैक्षिक पृष्ठभूमि उनकी राजनीतिक जागरूकता को प्रभावित करती है। अध्ययन क्षेत्र में यह पाया गया कि अधिकतर महिला उत्तरदाताओं की माताओं की शैक्षिक पृष्ठभूमि अनपढ़ पायी गयी है, जो उनके समय की महिलाओं की शैक्षिक स्थिति को प्रदर्शित करती है।
- दलित महिलाओं स्थानीय स्तर पर पंचायतीराज की गतिविधियों में सहभागिता उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि से सम्बन्धित होती है। महिला उत्तरदाताओं की माता की व्यवसायिक पृष्ठभूमि उनकी राजनीतिक गतिविधियों को निर्धारित करती है।
- दलित महिलाओं उत्तरदाता पंचायती राज में स्थानीय स्तर पर उनके पति की व्यवसायिक पृष्ठभूमि से प्रभावित होती हैं तथा पति द्वारा पंचायतों की गतिविधियों में सकारात्मक या नकारात्मक प्रोत्साहन उनकी भूमिका पंचायती राज स्तर पर तय करता है, जिनकी आर्थिक

स्थिति अच्छी पायी गयी है उनका स्थानीय स्तर पर राजनीतिक गतिविधियों में योगदान देखने को मिलता है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में भी एकांकी परिवारों का प्रचलन संयुक्त परिवार के स्थान पर तेजी से बढ़ रहा है तथा एकांकी परिवार में महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि हुई है, लेकिन स्थानीय स्तर पर संयुक्त परिवारों में राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं को एक मुखौटे के तौर पर प्रयोग करने का प्रचलन तथा वास्तिविक निर्णय लेने की क्षमता परिवार के मुखिया या प्रधान पति या बड़े पुत्र में पायी गयी है।
- शोध अध्ययन में सबसे अधिक महिला उत्तरदाता (51 प्रतिशत) यह स्वीकार करती हैं कि पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं की शिक्षा बढ़ने से उनके राजनीतिक प्रयासों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलता है।
- शोध अध्ययन में सबसे अधिक महिला उत्तरदाता (62 प्रतिशत) यह स्वीकार करती हैं कि पंचायतीराज व्यवस्था में शिक्षा बढ़ने से उनका राजनीतिक उद्धार हुआ है।
- शोध अध्ययन में सबसे अधिक महिला उत्तरदाता (42 प्रतिशत) यह स्वीकार करती हैं कि पंचायतीराज व्यवस्था में आने के बाद उनकी स्थिति में वास्तविक बदलाव आया है।
- शोध अध्ययन में सबसे अधिक महिला उत्तरदाता (55 प्रतिशत) यह स्वीकार करती हैं कि पंचायतीराज व्यवस्था में स्थानीय स्तर पर महिलाओं के प्रति पुरुषों की विचारधारा संकुचित होती है अध्ययन क्षेत्र में आंकड़ों के संकलन के दौरान यह पाया कि महिला उत्तरदाताओं का उनके प्रति आम लोगों की विचारधारा आज भी संकुचित है तथा बहुत कम लोगों की विचारधारा में महिलाओं के विकास के प्रति सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं जो महिलाओं की वास्तविक स्थिति को समाज में ऊपर उठाने का कार्य करते हैं।
- पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण स्थानीय स्तर पर महिलाऐं पंचायतीराज व्यवस्था में पदाधिकारी होने के बावजूद भी अपने अधिकारों का वास्तविक तौर पर प्रयोग नहीं कर पाती हैं। या तो उनके पति (प्रधान पति) या परिवार में बड़ा पुत्र सत्ता का संचालन खुले आम करता है तथा प्रधान की मुहर को अपने मनमाने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बहुत अधिक बार तो महिला प्रधान को ज्ञात भी नहीं होता है कि उनके हस्ताक्षर किन–किन अभिलेखों पर किये गये हैं।
- महिला उत्तरदाताओं की चेतना उनके आर्थिक स्तर से प्रभावित होती है। शिक्षित होने के साथ–साथ महिलाओं की चिंतन क्षमता का विकास होता है। अध्ययन क्षेत्र में इस महत्वपूर्ण बिन्दू पर प्रकाश डालने में अधिकतर महिला उत्तरदाता अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से नहीं रख पायी हैं। इसके पीछे उनकी शिक्षा का स्तर महत्वपूर्ण कारक के रूप में परिलक्षित होता है। गाँवों में आज भी स्थानीय स्तर पर महिलाओं की जागरूकता उनकी अर्थव्यवस्था से प्रभावित होती है।
- शोध अध्ययन में सबसे अधिक महिला उत्तरदाता (52 प्रतिशत) यह स्वीकार करती हैं कि उनके परिवार के अन्य पुरुष सदस्य उन्हें राजनीतिक रूप से सक्रिय होने के लिये प्रेरित करते है।

- शोध अध्ययन में सबसे अधिक महिला उत्तरदाता (38 प्रतिशत) यह स्वीकार करती हैं कि महिलाओं का राजनीतिक स्तर उनकी राजनीतिक सहभागिता के द्वारा प्रभावित होता है।
- अधिकतर महिला उत्तरदाता इस मत से सहमत हैं कि आज भी पंचायती राज स्तर पर महिलाऐं अपनी राजनीति की स्वतन्त्रता का उपयोग नहीं कर पाती हैं। परिवार के अन्य पुरुष सदस्य महिलाओं की राजनीतिक स्वतन्त्रता को प्रभावित करते हैं तथा अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक कार्यों का संचालन करते हैं।

निष्कर्ष

नयी विकास पंचायतों एवं न्याय पंचायतों ने नयी शक्ति व्यवस्था को जन्म दिया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण शक्ति के श्रोतों को जन सहयोग तथा लोकतंत्र पर आधारित करना था। अब ग्रामीण नेताओं का चुनाव वर्ग एवं जाति के स्थान पर उनके अर्जित गुणों के आधार पर होने लगाँ यद्यपि पंचायत चुनावों से सम्बन्धित अनेक अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि अब भी कई गाँवों में एक पंच एवं सरपंचों के चयन में जाति एवं वर्ग का महत्त्व कम नहीं हुआ है। आर्थिक विषमता के कारण भू–स्वामियों, बड़े–बड़े किसानों तथा साहूकारों का अब भी ग्रामीण शक्ति संरचना व नेतृत्व में महत्त्वपूर्ण स्थान है। ग्रामीण काश्तकारों की भू–स्वामियों एवं साहूकारों पर आर्थिक निर्भरता अब भी बनी हुई है। जाति और सम्पत्ति वर्तमान में ग्रामीण शक्ति संरचना के मुख्य आधार में से है। जाति का प्रभाव धार्मिक दृष्टिकोण से अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं है, बल्कि किसी गाँव में जाति की शक्ति उसकी जनसंख्या पर निर्भर करती है। आज के ग्रामीण भारत में उभरता हुआ नेतृत्त्व कहां तक परिवर्तन लाने में सफल हो सकेगा, ग्रामीण शक्ति संरचना और इससे सम्बन्धित नेतृत्त्व का क्या भविष्य होगा? यह एक विचारणीय प्रश्न है। कार्ल मार्क्स ने शक्ति संरचना को उत्पादन की शक्तियों से जोड़ा है। यदि हम यह मानकर चलें कि जैसे–जैसे ग्रामीण अंचलों में आधुनिकीकरण का प्रवेश होगा और प्रजातंत्रीकरण शक्तिशाली होगा उसके फलस्वरूप एक नये प्रकार का नेतृत्त्व का जन्म होगा और शक्ति संरचना में परिवर्तन आयेगा जब से एक व्यक्ति एक वोट की राजनीति आयी है, तब से बड़े और छोटे के बीच अन्तर धीरे–धीरे समाप्त हो रहा है और नये प्रकार के नेतृत्त्व के जन्म की पृष्ठभूमि बन रही है। परम्परागत रूप से गाँव की शक्ति संरचना और नेतृत्त्व उच्च जातियों के हाथ में था। उनके पास उच्च सामाजिक स्थिति थी, क्योंकि वे धन और सम्पत्ति के आधार पर उच्च सामाजिक स्थिति प्राप्त किये हुए थे। भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से शक्ति समूहों में परिवर्तन आया है ओर इसके फलस्वरूप मध्यम तथा निम्न जातियां भूमिधर के रूप में विकसित हुए और गाँवों की शक्ति संरचना में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त किए हैं ग्रामीण शक्ति समूह वर्तमान युग में सत्ता प्राप्त करने के प्रलोभन में फंसे हैं और गाँव के विकास में उनकी रूचि नहीं है। गाँव में प्रजातंत्रीय संस्थाएं जैसे– गाँव पंचायत, सामुदायिक विकास खण्ड योजनाओं का लाभ केवल शक्तिशाली समूहों को ही मिला है और उन्होंने अपनी आर्थिक और धार्मिक सामाजिक स्थिति को सबल बनाया है। गाँव में जहाँ पढ़े–लिखे नवयुवक नेतृत्त्व को संभाल रहे हैं, वहां परिवर्तन और विकास की किरण देखने को मिल रही है।

संदर्भ

1. मल, पूरण. (2007). पंचायती राज एवं दलित नेतृत्व. आविष्कार पब्लिशर्सः हिस्ट्रीब्यूटर्स जयपुर, राजस्थान. पृष्ठ **13.**
2. नेहरू, जवाहर लाल. (1965). सामुदायिक विकास और पंचायती राज. सस्ता साहित्य मण्डल प्रशासनः दिल्ली. पृष्ठ **108.**
3. वंषल, वन्दना. (2004). 'पंचायती राज एवं महिला भागीदारी'. कल्पराज पब्लिकेशनः दिल्ली. पृष्ठ **42.**
4. मजूमदार, वी0वी0. (1995). 'प्राब्लम्स ऑफ पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन'. पटना. पृष्ठ **205.**
5. रवीन्द्रनाथ, मुखर्जी. (2006). भारतीय समाज एवं संस्कृति. विवेक प्रकाशनः दिल्ली. पृष्ठ **6.**
6. उमर, फारूकी. (2010). 'महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज की भूमिका'. कुरूक्षेत्र. अक्टूबर।
7. प्रदीप, कुमार सिंह. (2010). 'संगठित महिलाएँ सशक्त समाज'. कुरूक्षेत्र. जून।
8. सिंह, आनन्द. (2010). 'पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण'. कुरूक्षेत्र।
9. चतुर्वेदी, दिषा. (2011). 'पंचायती राजव्यवस्था एन महिला राजनीतिक भागीदारिता. नई दिल्ली।
10. सिंह, उमेश प्रताप., सिंह, राजेश. (2012). महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयाम. साहित्य संगम पब्लिकेशनः इलाहाबाद मेरठ।
11. सिंह, अखिलेश. (2011). 'ई–शासन से बेहतर हुआ गाँवों का प्रशासन'. कुरूक्षेत्र. अगस्त।
12. सिंह, गोपी रमन प्रसाद. (2013). 'भारतीय सामाजिक व्यवस्था एवं संस्थाएँ. अग्रवाल पब्लिकेशनः उत्तर प्रदेश।
13. मोदी, अनीता. (2014). 'ग्रामीण विकास और पंचायतें'. कुरूक्षेत्र. जनवरी।